भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 127

20.07.2026 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्रों में एक सदी पुराने सिंचाई तालाबों का पुनरुद्धार

127. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वन क्षेत्रों में स्थित कई लघु सिंचाई टैंक, विशेषकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जैसे जिलों में, एक सदी से अधिक पुराने हैं और उन्हें तत्काल मरम्मत, पुनर्स्थापन, और पुनरुद्धार की आवश्यकता है;

(ख) क्या वन और पर्यावरण नियमों के अंतर्गत कंटूर ट्रेंचिंग और गाद निकालने (डीसिल्टिंग) पर लगाए गए प्रतिबंध उक्त वन क्षेत्रों में जल संरक्षण के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने ऐसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पुनरूद्धार कार्यों के लिए मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उक्त टैंकों को आरआरआर (मरम्मत, पुनर्स्थापन और पुनरुद्धार) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने की सुविधा के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ समन्वय करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो जैव-विविधता, कृषि और स्थानीय आजीविका के लिए आवश्यक जल संरक्षण कार्यों को अत्यंत महत्व दिए जाने के बावजूद उन्हें वन क्षेत्रों में अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) :

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार सहित अन्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभाग, मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार और ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज, जल शक्ति जैसे केंद्रीय मंत्रालयों और आवश्यकतानुसार अन्य मंत्रालयों/विभागों सहित संबंधित हितधारकों के समन्वय से तथा संबद्ध वन प्रभागों की अपनी-अपनी वार्षिक संचालन योजना/प्रबंधन योजना के अनुसार, लघु सिंचाई टैंकों सहित जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत, पुनर्बहाली और पुनरुद्धार का कार्य करते हैं।
